न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

आसीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
र्थना पत्र सं0 248/15
र्णय दिनांकः 13.06.2018

1. चतरसिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत नि0 लूनियावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. तहसीलदार तह0 कि0रेनवाल प्रतिनिधि राज0 सरकार
2. हरिसिंह पुत्र कालूसिंह जाति रापूत नि0 लूनियावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 के संयुक्त जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 139 रकबा 2 विस्वा गै0मु0 चाह तथा नं0 140 रकबा 11 बीघा 18 विस्वा वाकै ग्राम लूनियावास तह0 कि0रेनवाल ना जयपुर राज0 में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीसं0 2 संयुक्त से 3/4 हिस्सा तथा गुलाबसिंह का 1/4 हिस्सा है गुलाबसिंह की अविवाहित हो चुकी है जिसके विधिक वारिसों में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 के 3/4 हिस्सें त गुलाबसिंह के 1/4 हिस्सें पर अर्थात् सम्पूर्ण आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी 2 काबिज काश्त है व उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 ापस में सगे भाई है जो कि स्व0 कालूसिंह के विधिक वारिस एंव उत्तराधिकारी व0 कालूसिंह के छीतरसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं था बल्कि प्रार्थी सहित र्थी सं0 2 पुत्र है प्रार्थी का नाम चतरसिंह है किन्तु संवत् 2031 से 2034 में कालूसिंह की विरासत से स्वीकृत नामान्तकरण सं0 151 में प्रार्थी का नाम सिंह के स्थान पर सहवन से छीतरसिंह अंकित कर दिया गया जिसके कारण न राजस्व अभिलेखों में भी प्रार्थी का नाम छीतरसिंह दर्ज हो रखा है। ग्राम त लूनियावास द्वारा जारी राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम चतरसिंह दर्ज है इसी र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र तथा भारत सरकार द्वारा जारी र कार्ड व ग्राम पंचायत लूनियावास की निर्वाचन नामावली में प्रार्थी का नाम कारी

Scanned by CamScanner

तरसिंह दर्ज है उक्त समस्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज है जिसके बनावटी होने
ा कोई प्रश्न नहीं है उक्त दस्तावेज में प्रार्थी का वास्तविक नाम चतरसिंह दर्ज
क्या गया है। राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटिवंश प्रार्थी का नाम चतरसिंह के
थान पर छीतरसिंह गलत दर्ज कर दिया गया है जिसको दुरूस्त कर प्रार्थी का
स्तविक नाम अभिलेखों में दर्ज किये जाने हेतु हल्का पटवारी व अप्रार्थी सं0 1
ो दिनांक 02.12.15 को निवेदन किया तो अप्रार्थी सं0 1 व हल्का पटवारी ने
यायालय से आदेश लाने पर ही इन्द्राज दुरूस्त करने हेतु कहा इस कारण यह
0पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।
ार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जवाब पेश किया गया
शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं0 2 की ओर से वकील श्री तेजपाल ने
ालतनामा पेश किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार
18 में न्यायालय हाजा में पेश हुयी। वकील प्रार्थी ने उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किये
ने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का
नपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् प्रार्थीगण का प्रा0पत्र
क अदालत की भावना से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार
या जाकर आराजी खं0नं0 139 रकबा 2 विस्वा गै0मु0 चाह तथा खं0नं0 140
बा 11 बीघा 18 विस्वा वाकै ग्राम लूनियावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर
0 मे प्रार्थी के दर्ज नाम छीतरसिंह के स्थान पर चतरसिंह दर्ज करने व नाम
स्ती को दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार फुलेरा को
स्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 13.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प
ालय हाजा में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner